२९

आर्यसमाज के नियम
(बम्बई)

आर्यसमाज के नियम (बम्बई)

चैत्र शुक्ला ५ शनिवार संवत् १९३२ एवं १० अप्रैल सन् १८७५ एवं (३ रवाउल् अव्वल सन् १२९२ हिजरी, एवं शाके शालिवाहन १७९७, फली सन् १२८३, एवं खुदोद सन् १२८४ पारसी) को गिरगाम रोड में प्रार्थना-समाज के मन्दिर के निकट डाक्टर माणिक जी की बागबाड़ी में सायंकाल के साढे पांच बजे एक सभा की गई। जिसमें आर्यसमाज स्थापित किया गया और निम्नलिखित नियम स्वीकार किये गये—

१. आर्यसमाज का सब मनुष्यों के हितार्थ होना आवश्यक है।

२. इस समाज में मुख्य स्वतः प्रमाण वेदों का ही माना जायेगा। साक्षी के लिए वेदों के ज्ञान के लिये तथा आर्य इतिहास के लिये शतपथादि चार ब्राह्मण, छः वेदांग, चार उपवेद, छः दर्शन, ग्यारह सौ सत्ताईस वेदों की शाखा वेदव्याख्यान आर्ष सनातन संस्कृत ग्रन्थों का भी वेदानुकूल होने से गौण प्रमाण माना जायेगा।

३. इस समाज में प्रतिदेश के मध्य एक प्रधान समाज होगा और अन्य समाज शाखा प्रशाखा होंगे।

४. अन्य सब समाजों की व्यवस्था प्रधान समाज के अनुकूल रहेगी।

५. प्रधान समाज में वेदोक्तानुकूल संस्कृत और आर्य भाषा में नाना प्रकार के सदुपदेश के पुस्तक होंगे और आर्य-प्रकाश पत्र यथानुकूल आठ-आठ दिन में निकलेगा। यह सब समाजों में प्रवृत्त किये जायेंगे।

६. हर एक समाज में प्रधान पुरुष और दूसरा मन्त्री तथा अन्य पुरुष और स्त्री सभासद् होंगे।

७. प्रधान पुरुष इस समाज की यथावत् व्यवस्था पालन करेगा और मन्त्री सबके पत्रों का उत्तर और सबके नाम व्यवस्था लेख करेगा।

८. इस समाज में सत्पुरुष, सत्यनीति, सत्याचरणी, हितकारक समाजस्थ लिये जायेंगे।

९. जो गृहस्थ गृहकृत्य से अवकाश प्राप्त हो, तो जैसा घरके कार्यों में

पुरुषार्थ करता है, उससे अधिक पुरुषार्थ इस समाज की उन्नति के लिये करे और विरक्त तो नित्य ही इस समाज की उन्नति करे, अन्यथा नहीं।

१०. हर आठवें दिन प्रधान, मन्त्री और सभासद् समाज-स्थान में इकट्ठे हों और सब कामों में इस काम को मुख्य जानें।

११. इकट्ठे होकर सर्वथा स्थिर चित्त हो, परस्पर प्रीति से पक्षपात छोड़कर प्रश्नोत्तर करें, फिर सामवेदादि गान, परमेश्वर, सत्य-धर्म सत्यनीति, तथा सत्योपदेश के सम्बन्ध में बाजा आदि के साथ हो। और इसी विषय पर मन्त्रों का अर्थ और व्याख्यान और फिर गान हो, इत्यादि।

१२. हर एक सभासद् न्यायपूर्वक पुरुषार्थ से जितना धन प्राप्त करे, उसमें से आर्यसमाज, आर्य विद्यालय और आर्य-प्रकाश पत्र के प्रचार और उन्नति के लिये, आर्यसमाज के धन कोष में एक प्रतिशत प्रीति पूर्वक देने से अधिक धर्मफल। इस धन का इन ही विषयों में व्यय होवे, और जगह नहीं।

१३. जो मनुष्य इन कार्यों की उन्नति और प्रचार के लिये, जितना प्रबल यत्न करे, उसका उत्साह के लिये यथायोग्य सत्कार होना चाहिये।

१४. इस समाज में वेदोक्त प्रकार से हर एक स्तुति-प्रार्थना और उपासना अद्वितीय परमेश्वर की ही करने में आयेगी। अर्थात् निराकार, सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, दयालु, सर्वजगत्पिता, सर्वजगन्माता, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सच्चिदानन्द आदि लक्षण युक्त, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव, अनन्तसुखप्रद, धर्मार्थकाममोक्षप्रद, इत्यादि विशेषणों से परमात्मा की ही स्तुति, उसका कीर्त्तन, प्रार्थना उससे सर्वश्रेष्ठ कार्यों में सहाय चाहना, उपासना उसके आनन्द स्वरूप में मग्न हो जाना। सो पूर्वोक्त निराकारादि लक्षण वाले की ही भक्ति करनी, उसके सिवाय और की कभी नहीं करनी।

१५. इस समाज में निषेकादि अन्त्येष्टि पर्य्यन्त संस्कार वेदोक्त किये जायेंगे।

१६. आर्य विद्यालय में वेदादि सनातन आर्ष-ग्रन्थों का पठन-पाठन कराया

जायेगा और वेदोक्त रीति से ही सत्यशिक्षा सब पुरुष और स्त्री के सुधार की होगी।

१७. इस समाज में स्वदेश के हितार्थ दो प्रकार की शुद्धि के लिये प्रयत्न किया जायेगा। एक परमार्थ दूसरी लोक व्यवहार। इन दोनों का शोधन और शुद्धता की उन्नति तथा सब संसार के हित की उन्नति की जायेगी।

१८. इस समाज में न्याय वही माना जायेगा, जो पक्षपात रहित अर्थात् प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परीक्षित सत्य-धर्म वेदोक्त होगा। इससे विपरीत को यथाशक्ति न माना जायेगा।

१९. इस समाज की ओर से श्रेष्ठ विद्वान् सर्वत्र सदुपदेश करने के लिये समयानुकूल भेजे जायेंगे।

२०. स्त्री और पुरुष दोनों के विद्याभ्यास के लिये स्थान हर एक स्थान में यथाशक्ति अलग-अलग बनाये जायेंगे। स्त्रियों के लिये अध्यापन और सेवा प्रबन्ध स्त्रियों द्वारा ही किया जायेगा और पुरुष पाठशालाओं का पुरुषों द्वारा, इसके विरुद्ध नहीं।

२१. उन पाठशालाओं की व्यवस्था प्रधान आर्यसमाज के अनुकूल पालन की जायेगी।

२२. इस समाज में प्रधान आदि सभासद् परस्पर प्रीति के लिये अभिमान, हठ, दुराग्रह और क्रोधादि सब दुर्गुण छोड़कर उपकार, सुहृदयता से सब से सब को निर्वैर होकर स्वात्मवत् प्रीति करनी होगी।

२३. विचार समय सब व्यवहारों में न्याय युक्त सर्वहित की जो सत्य बात भले प्रकार विचार से ठहरे, वही सब सभासदों को प्रकट करके मानी जाये। इसके विरुद्ध न मानी जाये। इसी का नाम पक्षपात छोड़ना है।

२४. जो पुरुष इन नियमों के अनुकूल आचरण करने वाला धर्मात्मा सद्गुणी हो, उसको उत्तम समाज में प्रविष्ट करना, उसके विपरीत को साधारण समाज में रखना, और अत्यन्त प्रत्यक्ष दुष्ट को समाज से निकाल ही देना, परन्तु वह काम पक्षपात से नहीं करना, बल्कि यह दोनों बातें श्रेष्ठ सभासदों के ही विचार से की जायें, अन्य प्रकार नहीं।

२५. आर्यसमाज, आर्य विद्यालय, 'आर्य-प्रकाश' पत्र और आर्यसमाज का अर्थ, धन, कोष इन चारों की रक्षा और उन्नति प्रधानादि सब सभासद् तन, मन और धन से सदा करें।

२६. जब तक नौकरी करने और कराने वाला आर्यसमाजस्थ मिले, तब तक और की नौकरी न करे और न किसी और को नौकर रखें, वे दोनों स्वामी सेवक भाव से यथावत् वरतें।

२७. जब विवाह, पुत्र-जन्म, महालाभ, वा मरण वा कोई समय दान वा धन व्यय करने का हो, तब आर्यसमाज के निमित्त धन आदि दान किया करें। ऐसा धर्म का काम और कोई नहीं है, इस निश्चय को जानकर इसको कभी न भूलें।

२८. इन नियमों में कोई नियम नया लिखा जायेगा वा कोई निकाला जायेगा वा न्यूनाधिक किया जायेगा, सो सब श्रेष्ठ सभासदों की विचार रीति से श्रेष्ठ सभासदों को विदित करके ही यथायोग्य करना होगा।

इसके पश्चात् आर्यसमाज के पदाधिकारी नियत किये गये और प्रति शनिवार को सायंकाल आर्यसमाज के साप्ताहिक अधिवेशन होने निश्चित हुए परन्तु पीछे शनिवार का दिन सभासदों के अनुकूल न पड़ा, अतः आदित्यवार निश्चित किया गया।

